राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, छत्तीसगढ़

मीटिंग व गैर आवासीय प्रशिक्षण के दौरान नाश्ता एवं भोजन प्रदाय करने के लिए संस्थाओं का अभिकायन(**Empanelment**)

परिचय –राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र छत्तीसगढ़, एक स्वायत्तशासी संगठन है जो कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, (क्रमांक –44) के अधीन पंजीकृत है। राज्य के मितानिन कार्यक्रम के संचालन के साथ–साथ ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

वांछित सेवायें – राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र को ऐसे सेवा प्रदाताओं (होटल/रेस्टोरेंट) की तलाश हैं जो हमारी कार्यालयीन बैठकों एवं गैर आवासीय प्रशिक्षण, के दौरान नाश्ता व भोजन उपलब्ध करा सकें। इस संबंध में हमारी आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं :–

- **नाश्ता व्यस्वथा :–** अ. पोहा,+जलेबी
  ब. इड़ली+सांभरबड़ा
  स. आलू पराठा+मीठा दही
- **भोजन व्यवस्था** :– पतला चावल, दाल, रोटी/पूड़ी दो सब्जी, (एक गीला व एक सूखा) अचार,,पापड़,सलाद रायता,मिठाई, इत्यादि।

आवेदन प्रक्रिया –इच्छुक व्यक्ति/संस्थाएं अपने आवेदन दिये गये निर्धारित प्रारूप (**संलग्न**) में भरकर रू. 500 निविदा शुल्क के साथ कार्यालय में दिनांक 16.5.2018 तक जमा करें। उपरोक्त राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से STATE HEALTH RESOURCE CENTRE RAIPUR के नाम पर देय होगी जो कि वापसी योग्य नहीं होगी।

चयन प्रक्रिया –सभी निविदाकर्ताओं द्वारा प्राप्त दरों एवं दी जाने वाली सुविधाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर न्यूनतम निविदा का चयन किया जाएगा एवं अन्य निविदाकर्ताओं को (यदि इच्छुक हो तो) न्यूनतम दर को मिलान करने का अवसर दिया जा सकता है। उक्त आधार पर समान दरों पर निविदाकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा एवं आवश्यकतानुसार कार्यादेश दिया जाएगा।

नियम व शर्ते–

1. समस्त निविदा "**प्रति, क्रय समिति, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र**", बिजली ऑफिस चौक कालीबाड़ी, रायपुर के पते पर सीलबंद लिफाफे में निर्धारित तिथि तक जमा कराया जाना होगा,एवं लिफाफे पर कोटेशन लिखना आवश्यक होगा।
2. प्रस्तावित दरें शासन द्वारा लागू सभी कर सहित होंगी तथा अनुबंध की तारीख से एक वर्ष तक मान्य होंगी।
3. निविदा कर्ता को GST(अनिवार्य) /PAN NO. एवं बैक पासबुक/स्टेटमेंट की छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।
4. नाश्ता एवं भोजन, पैकेट अथवा बफे–सिस्टम में उपलब्ध कराने संबंधी समस्त व्यय निविदाकर्ता द्वारा वहन किये जायेगे।
5. चयन होने की दशा में बिलों का भुगतान फर्म के नाम पर चेक/ई–ट्रांस्फर (स्थानांतरण) के माध्यम से किया जाएगा एवं नियमानुसार कर (TDS) की कटौती की जाएगी।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने और निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र के पास सुरक्षित रहेगा।

वरिष्ठ समन्वयक (प्रशासनिक)

बैठक एवं गैर आवासीय प्रशिक्षण के दौरान भोजन व्यवस्था करने हेतु नाभिकायन (empanelment) के लिए आवेदन

प्रति,

क्रय समिति,
राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र,
बिजली ऑफिस चौक के पास,
कालीबाड़ी, रायपुर (छ.ग.)

दिनांक...........................

महोदय,

मैं आपकी संस्था द्वारा आयोजित बैठकों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भोजन की व्यवस्था करने के लिए इच्छुक हूँ जिसके लिये निर्धारित शुल्क राशि .... डी.डी. कं.......................... जमा कर रहा हूँ। आपके द्वारा दिये गये प्रपत्र को मैने ध्यान पूर्वक पढ़ा हैं एवं उनमें दी गई समस्त शर्ते मुझे मान्य हैं। उपरोक्त व्यवस्था हेतु मेरी दरें एवं दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है।

नाश्ता एवं भोजन व्यवस्था हेतु वित्तीय प्रस्ताव

कमांक	नाम	विवरण	दर
1	नाश्ता	पोहा–जलेबी प्रति प्लेट	
		इड़ली/सांभरबड़ा प्रति प्लेट	
		आलू पराठा(मीठा दही के साथ) प्रति प्लेट	
2	भोजन (बफे सिस्टम)	पतला चावल, दाल, रोटी/पूड़ी दो सब्जी, (एक गीला व एक सूखा) अचार,पापड़, सलाद, रायता, मिठाई,	
3	भोजन (पार्सल सिस्टम)		

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं संस्था की सील

प्रोपाइटर का नाम ....

पता..

....

मोबाइल नं...